

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(2)न्याय/2022


जयपुर दिनांक 23.05.2022

::अधिसूचना::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(4)न्याय/96 दिनांक 08.11.2012 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)न्याय/2013 दिनांक 18.07.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4(2) सपठित धारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर एवं जोधपुर का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार परिवर्तित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर	अजमेर, टॉक
2	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 1, जोधपुर	जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर एवं नागौर जिले


राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अजमेर/टॉक/बाडमेर/जैसलमेर/नागौर/जोधपुर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अकिल रमन)
संयुक्त शासन सचिव